



रोजाना एक प्रश्न



श्री दिनेश कुमार वैष्णव
वरिष्ठ सहायक
CBEO अराई जिला अजमेर

आज का टॉपिक

IFPMS पर सेवानिवृत्त कार्मिक के उपार्जित अवकाश राशि आवंटित होने की जानकारी

IFPMS पर सेवानिवृत्त कार्मिक के उपार्जित अवकाश राशि आवंटित होने की जानकारी

निम्नांकित प्रक्रिया अपनाकर आप सेवानिवृत्त PL राशि आवंटन की जानकारी ले सकते हैं :-

- 1) सर्वप्रथम google पर IFPMS सर्च करे और <https://pension.raj.nic.in/> साइट खोले।
- 2) साइट ओपन करने पर दाएं साइड में Pensioners Service में दो विकल्प नजर आएं।
 - प्रथम - Apply for
 - द्वितीय - View status
- 3) View Status में 4 विकल्प में सबसे नीचे Leave incashment नजर आएगा उस पर क्लिक करे।
- 4) उसके बाद आपको स्क्रीन पर Login for leave incashment दिखेगा जिसमे तीन विकल्प दिखेंगे।
 - A) Employee ID
 - B) PPO No.
 - C) LR No.

आप अपनी इच्छानुसार इन तीनों में से किसी एक का चयन कर सकते हैं। अगर आप PPO No. डालते हैं तो आपको case type में Pension/Family में से किसी एक विकल्प का चयन करना होगा।

- 5) फिर आपको Verify By में DOB, DOR या mobile number में से किसी एक का चयन करना है।
- 6) उसके बाद आपको कैप्चा में अंको की जोड़/बाकी अंकित करके लॉगिन पर क्लिक करना है।
- 7) अब आपको Public Query (Search for Leave Encashment Details) में दो बॉक्स नजर आएं जिसमे प्रथम में आप Search by में Employee ID, PPO no. या LR no. में से किसी एक का चयन कर ले।
- 8) Case Type में Pension/Family में से किसी एक का चयन करें। उसके बाद PPO नंबर डाले।
- 9) अब आपको स्क्रीन पर नम्बर 2 में Leave Casement (EL) Budget Allocation Details में समस्त जानकारी मिल जाएगी जिसके अंतर्गत आपको अनुप्रयोजित PL की आवंटित राशि की जानकारी मिल जाएगी।

नोट : सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिक के लिए Pension पर क्लिक करके DOR (Date of Retirement) का चयन करना है जबकि सेवा में रहते हुए मृत्यु होने वाले कार्मिक के लिए Family पर क्लिक करके DOE (Date of Expire) का चयन करना है।

NOTE

उक्त सामग्री सामान्य जानकारी हेतु साथियों को उपलब्ध कराई गई है, जो राज्यादेशों और अन्य कारणों से असंगत हो सकती है, ऐसी स्थिति में राज्यादेश के आधार पर आवश्यक निर्णय लिए जावे, Paymanager Info समूह के सदस्य और rajsevak.com किसी भी प्रकार जिम्मेदार नहीं होंगे।